Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा के लिए नारायणपुर जिले की नीतियां और योजनाएं: उपलब्धियां और चुनौतियां

डॉ. एल. आर. सिन्हा[1], निलिमा निर्मलकर[2]

[1]सहायक प्राध्यापक, [2]शोधार्थी

[1,2]अर्थशास्त्र विभाग, भानुप्रतापपुर शासकीय पी.जी .महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़

शोध सार :

भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करता है ,वहां खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय विकास की एक प्राथमिकता है ।खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य केवल भोजन की उपलब्धता मात्र से नहीं ,बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त ,सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तक पहुंच ,उसकी उपलब्धता उपयोगिता और स्थिरता से है ।भारतीय संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक आर्थिक शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी संकेत को को में सबसे वांछित और संवेदनशील समूह में से एक है। नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख आदिवासियों बहुल जिला है ,यहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की महत्वपूर्ण भूमिका है।क्योंकि नारायणपुर जिला अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आता है और इसकी अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है इसीलिए यह अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है ।इन समुदायों के समक्ष खाद्य सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियां विद्यमान है ।राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित बस्तर संभाग का नारायणपुर जिला इस संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं चुनौती पूर्ण क्षेत्र है ।यह जिला अपनी समृद्धि जनजाति संस्कृति जनजातियों के लिए जाना जाता है ।किंतु यह भौगोलिक दूरहता,सीमित बुनियादी ढांचे, आर्थिक पिछड़ेपन और वन आधारित वनों उपज पर अत्यधिक निर्भरता जैसे गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है । इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव यहां की निवासियों विशेष कर बच्चों ,महिलाओं और किशोरियों के खाद्यान्न उपलब्धता एवं पोषण स्तर पर पड़ता है ।राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 तथा अन्य रिपोर्ट्स की आंकड़े भी छत्तीसगढ़ में कुपोषण ,एनीमिया और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर को दर्शाते हैं ।छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 जैसी सरकारी योजना इस संकट से निपटने हेतु एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है ,अक्सर अंतिम छोर तक पहुंचने में भौगोलिक ,प्रशासनिक और सामाजिक बढ़ाओ का सामना करती है ।

मुख्य शब्द: अनुसूचित जनजातियों मेंखाद्य सुरक्षा, आर्थिक समानता, उपलब्धता, पोषण सुरक्षा

प्रस्तावना:

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिला एक बहुत बड़ी आबादी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कृषि व वन आधारित वनों उपज पर आधारित है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार खाद्य उत्पादन और वितरण को प्राथमिकता दी है। हरित क्रांति के बाद भारत ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है लेकिन खाद्य सुरक्षा की समस्या अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है ।यहां के विभिन्न हिस्सों में आज भी गरीबी, निर्धनता ,कुपोषण, व्याप्त है । ऐसे में खाद्य सुरक्षा केवल खाद्यान्न की उपलब्धता का ही नहीं बल्कि पहुंच, सुलभता ,गुणवत्ता और पोषण से संबंधित व्यापक ,सामाजिक ,आर्थिक मुद्दा बन गया है ।

राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान, अमेरिका के अनुसार खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है "एक परिवार के लिए एक सक्रिय ,स्वस्थ जीवन के लिए हर समय सभी सदस्यों की पर्याप्त भोजन तक पहुंच ।" खाद्य सुरक्षा में शामिल है _पौष्टिक रूप से पर्याप्त और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की तैयार उपलब्धता और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से स्वीकार्य खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की सुनिश्चित क्षमता । संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)के अनुसार_ "खाद्य सुरक्षा तब मौजूद होती है जब सभी लोगों को ,हर समय ,सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी आहार संबंधी जरूरतो और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ,सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो ।" इस प्रकार खाद्य और पोषण सुरक्षा का अर्थ न्यूनतम आवश्यक पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता से है जिसे हर कोई किफायती दर पर प्राप्त कर सके और यह हर जगह

,हर परिस्थिति में लोगों की पहुंच के भीतर हो। कोविड -19 जलवायु परिवर्तन,यूक्रेन के युद्ध के कारण भोजन ,ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों के चलते वैश्विक खाद्य संकट बढ़ रहा है ।लाखों लोग भुखमरी की समस्या का सामना कर रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की वैश्विक खाद्य खाद्य संकट 2022 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया हाल के इतिहास में सबसे बड़े वैश्विक संकट के बीच में हैं । संयुक्त राष्ट्र ने भी खाद्य और पोषण सुरक्षा को विश्व की समुचित विकास के आवश्यक माना है ।और इसे सतत विकास लक्ष्यो(एसडीजी)में सम्मिलित किया है सतत विकास लक्ष्य _दो जीरो हंगर भुखमरी समाप्त करें ,खाद्य सुरक्षा प्राप्त करें और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दे।

नारायणपुर जिला में अनुसूचित जनजातियों में खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारण केवल उत्पादन में कमी नहीं है, बल्कि वितरण प्रणाली की अक्षमता , सामाजिक विषमता, भौगोलिक दूरहता,जलवायु ,निर्धनता, लिंग आधारित भेदभाव और पोषण जागरूकता की कमी जैसे संरचनात्मक कारण भी इसमें शामिल है ।इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने अनेक योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की है ।जिनमे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 ,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री गरीब कर कल्याण अन्न योजना आदि प्रमुख है ।

शोध के उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमुख सरकारी नीतियों और योजनाओं का वर्णन करना ।
2. अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना ।

साहित्य समीक्षा:

1. प्रो. अमर्त्य सेन (1995): राज्य के लाभ के लक्ष्य सीमित हो गए हैं,इसका प्रमुख कारण योजनाओं से होने वाली लीकेज है ।खाद्य सब्सिडी की आवश्यकता जनसंख्या के एक छोटे से भाग को है प्राथमिकता के आधार पर उनके कल्याण एवं पोषण उपलब्ध कराने की जरूरत है । गलत नीति निर्धारण के कारण ही कीमत ऊंचा है ।गरीबों को खाद्य उपलब्धता कम कीमत पर हो और इसका सही ढंग से क्रिया शुरू हो ।

2. यादव साधना (2012): भारत में कुपोषण एवं गरीबी एक बड़ी चुनौती है ।भारत में गौर करें तो यहां कई तरह की चुनौतियां सिर उठाती रही है । कुपोषण और भुखमरी एक ऐसा समस्या का विकास नहीं हो सकता ।भारत में करीब 47 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार है। हर साल हजारों बच्चों की मौत की वह वजह भी कुपोषण ही होता है ।

3. चंद्रभान(2012): अनाज का एक-एक दाना महत्वपूर्ण है ।खाद्य सुरक्षा के लिए हर दाने की महत्व समझाने की जरूरत है। ज्यादा उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत है ।जब तक उत्पादन अधिक नहीं होगा तब तक खाद्य संकट बना रहेगा, खाद्यान्न संकट से उबरने में किसान अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं ।खेतों से अधिक से अधिक अनाज खलियान तक पहुंचाना होगा ।

4. ब्याज विजय शंकर (2013): खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने एवं आर्थिक कार्यक्रमों कार्य वर्णन से विकास गति तीव्र हो सकती है । गरीबों की आय बढ़ सकती है ।परिमाण स्वरूप खाद्य सुरक्षा स्वत :ही मिल जाएगा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता हो इसके लिए उपयुक्त तकनीकी एवं व्यवस्था संबंधी सुधार करने की आवश्यकता है ।

5. हिमांशु एवं सेन अभिजीत (2013): जिन राज्यों में अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बना लिया, उन्होंने इसकी त्रुटियों को काफी हद तक सफलतापूर्वक हल कर लिया खाद्य वस्तुओं की कीमत में कमी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस और एसएमएस जैसी मूलभूत तकनीक को अपने में भी पीडीएस की कार्य पद्धति से विकृतिया समाप्त करने के लिए नए विचारों और मजबूत राजनीतिक शक्ति की जरूरत होगी ।

6. छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में विश्व बैंक (2019): की दस्तावेज से पता चलता है कि बस्तर संभाग की जनजातीय क्षेत्र में कम उत्पादकता, वर्षा आधारित कृषि और बाजार संपर्क की कमी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है ।

7. छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्ट संदर्भ में ,मिश्रा एवं शर्मा (2019): के द्वारा अध्ययन से पता चलता है, कि बस्तर संभाग के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पर निर्भर है ।

8. विश्व बैंक (2020): की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा के प्रमुख कर्म में कृषि एवं पोषण संबंध का अभाव महिलाओं की निम्न में स्थिति और जल स्वच्छता स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच शामिल है ।

9. विश्व खाद्य कार्यक्रम की वैश्विक खाद्य संकट (2022) रिपोर्ट के अनुसार: दुनिया हाल के इतिहास में सबसे बड़े वैश्विक खाद्य संकट के बीच में है । खाद्य असुरक्षा या उच्च जोखिम वाले लोगों की संख्या कोविड 19 महामारी से पूर्व 53 देश में 135 मिलियन थी जो पिछले दो वर्षों में बढ़कर 82 देश में 345 मिलियन हो गई है ।इस वैश्विक खाद्य संकट के बीच भारत अपने लोगों

को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने में सफल रहा है। यह यहां के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और सरकार की दूर दृष्टिता परिमाण है।

10. वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट (2022): मे भारत 68 वे स्थान पर है ।जो 2021 की 71वें स्थान से बेहतर है। यह दर्शाता है कि भारत द्वारा वर्ष दर वर्ष खाद्य सुरक्षा की ओर मजबूती से प्रयास किया जा रहा है। परंतु खाद्य सुरक्षा के विपरीत पोषण सुरक्षा में स्थित अभी भी संतोषजनक में स्थित भोजन में अभी भी पोषण तत्वों और प्रोटीन युक्त आहार की कमी है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य का नारायणपुर जिला जो बस्तर संभाग के साथ जिलों में से एक है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित नारायणपुर जिले का स्थापना 2007 में हुआ है ,इसकी मात्रा जिला बस्तर है सीमावर्ती जिलों में कांकेर कोंडागांव बीजापुर व सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र है। जिला मुख्यालय नारायणपुर है ।प्रशासनिक दृष्टि से नारायणपुर जिले में चार विकासखंड है। प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में अबूझमडीया ,गोंड, मुरिया, मडिया , भतरा और हल्बा समुदाय के लोग निवास करते हैं।

अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा के लिए प्रमुख नीतियां

1. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 :

नारायणपुर जिले में खाद्य सुरक्षा का मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की इस राज्य स्तरीय अधिनियम के माध्यम से ही किया जाता है इसके प्रमुख संदर्भ और प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित है_

- अनुसूचित जनजाति समूह के लिए व्यापक कवरेज प्रदेश की गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राज्य की खाद्य सुरक्षा कानून में अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले 70.53 लाख परिवारों को निशक्तजनों को ₹ 10 पर 35 किलो चावल दिया जाता है।
- अंत्योदय परिवारअनुसूचित जनजातीय समूह के लिए यह अधिनियम विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह जिसमें जनजातीय समूह भी शामिल है की पहचान अंत्योदय परिवार के रूप में करता है ।नारायणपुर में अधिकांश गरीब और सुदूर क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति परिवारों को इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है।
- सस्ती दर पर खाद्यान्न राशन कार्ड धारी को जिसमें अंत्योदय और प्राथमिक परिवार शामिल है निर्धारित मात्रा में चावल गेहूं ,शक्कर ,चना ,और नमक अत्यंत कम दरो पर उपलब्ध कराया जाता है।
- वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार प्राथमिकता अंत्योदय एकंल निराश्रित एवं निशक्तजन राशन कार्डों पर नि :शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:

- यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में सस्ती दरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य की 55.38 लाख परिवारों को अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड जारी किया गया है जिसमें सबसे गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹35 दो करोड़ सदस्य दर्ज है ,जिन्हें 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर तीन रुपए प्रति किलो है।
- नारायणपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का यह अधिनियम,कम और सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

- नारायणपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में प्राथमिकता राशन कार्डों की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ-साथ सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित करना है।
- इसमें आयकर दाता एवं गैर आयकर दाता परिवार भी शामिल है ,जिसमें वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किया जा रहा है।

4. मध्यान भोजन योजना :

- यह योजना विद्यालयों में पहले से आठवीं तक अध्यनरत छात्र-छात्राओं को पका हुआ गरम पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, नारायणपुर जिले के सभी स्कूलों में शासकीय विद्यालयों में एवं निजी निकायों में बाल श्रमिक विद्यालयों में मध्यान भोजन योजना प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2021 में मध्यान भोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण योजना) कर दिया गया है, जिससे नारायणपुर जिले के स्कूलों में बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की बच्चों को सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी निशुल्क मध्यान भोजन का अधिकार है यह प्रावधान नारायणपुर जैसे जिले जहां कुपोषण एक चुनौती है में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है

5 एकीकृत बाल विकास सेवा :

- मातृ एवं शिशु पोषण गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माता को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निशुल्क पोषण आधार और ₹6000 . से कम नगद सहायता मातृत्व सहायता का अधिकार है l
- बच्चों के लिए पोषण 0 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण आहार दिया जाता है ,जिससे कुपोषण दूर किया जा सके और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में कुपोषण की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है l

6. अन्नपूर्णा योजना :

- अनुसूचित जनजाति में जो 65 वर्ष से अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करती है जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है l
- 10 किलोग्राम अनाज प्रति महान नि :शुल्क दिया जाता है l

7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजन:

- यह कोविड _19 महामारी के दौरान लागू किया गया योजना है ,जो अनुसूचित जनजातियों में बहुत ही कल्याणकारी रहा है l
- इसमें एनएफएसए नारायणपुर जिले के लाभार्थियों को अतिरिक्त अनाज निशुल्क प्रदान किया जाता है l

अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा की प्रमुख उपलब्धियां

- नारायणपुर जिला में वृहद स्तर पर छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक सस्ती दरों पर अनाज पहुंचने में सफलता प्राप्त की है, विशेष कर कोविड काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने हजारों गरीब परिवारों को राहत प्रदान की है l
- नारायणपुर में अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण में आंशिक कमी मध्यान भोजन योजना के चलते बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की दर में कुछ कमी आई है , प्राथमिक, माध्यमिक , आवासीय विद्यालयों , आवासीय महाविद्यालय में l
- नारायणपुर जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इस अधिनियम के जिम्मेदार है, जिसमें शिकायत निवारण और पारदर्शिता है l
- महिलाओं को मुखिया बनाना इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है ,जो अनुसूचित जनजातीय समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है l
- नारायणपुर जिले में इस अधिनियम ने अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अधिकार आधारित दृष्टि को स्थापित करके खाद्य सुरक्षा को एक कल्याणकारी योजना से बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया है l

अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां

- नारायणपुर जिले में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे प्रमुख भौगोलिक दुर्गमता, घने वनों ,पहाड़ियों और सीमित संपर्क मार्गों के कारण अधिकांश गांवों तक खाद्य पदार्थ पहुंचना एक जटिल कार्य हो जाता है l
- अनुसूचित जनजातियों में कई बार लाभार्थियों की गलत पहचान की जाती है ।वास्तविक गरीब लाभ से वंचित रह जाते हैं ,जबकि कुछ अयोग्य व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेते हैं।
- भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख समस्या है खाद्यान्न वितरण प्रणालियों में बिचौलियों और भ्रष्टाचार के कारण बड़ा हिस्सा लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है l
- अनुसूचित जनजातियों में समावेशी दृष्टिकोण की कमी भी एक विशेष समस्या है।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्रवासीय मजदूर और जनजाति समूह अभी खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित है।

निष्कर्ष:

नारायणपुर जिले मेंअनुसूचित जनजातियों में विशेष कर महिलाओं और बच्चों में खाद्य और पोषण सुरक्षा तब तक अधूरी है ,जब तक लोगों को पौष्टिक भोजन निरंतर उपलब्ध न हो लोगों की निरंतर पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके इसके लिए आवश्यक है

,कि अनाजों की कीमतों में उतार-चढ़ाव संघर्ष या महामारी जैसे बाहरी जोखिम के प्रभाव को कम कर इसे हर वक्त लोगों खासकर समाज के कमजोर लोगों की पहुंच के भीतर बने बनाए रखा जाए। राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम ,2012 और पीडीएस जैसे कार्यक्रमों ने खाद्यान्न की उपलब्धता और पहुंच को बेहतर बनाया है ,किंतु अभी भी कई क्षेत्रों कई ऐसे क्षेत्र है जहां सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। विशेष रूप से वितरण में पारदर्शिता पोषण स्तर में सुधार और कमजोर वर्गों को समावेश करने में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं ,जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ,2013,राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील योजना, अंत्योदय एवं अन्न योजना ,एकीकृत बाल विकास योजना और हाल ही में शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रमुख है।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जा रहा है कि कोई भी नागरिक भुखमरी और कुपोषण का शिकार ना हो और प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त सुरक्षित और पोषण भोजन की उपलब्धता हो इन योजनाओं और नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है ,खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है मिड डे मील योजना और एकीकृत बाल विकास योजना ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने का कार्य किया है ,साथ ही डिजिटल करण और आधार संयोजन ने खाद्य वेतन प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सशक्त किया है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियां अब भी जैसी समस्याएं हैं। कई बार पात्र लाभार्थियों तक योजना नहीं पहुंच पाता है और अपात्र लाभार्थी इसका अनुचित लाभ उठाते हैं इसकी अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, कृषि में स्थिरता, जल स्रोतों का संकट ,अशिक्षा, निर्धनता और खाद्य उत्पादन को प्रभावित करता है ,तेजी से बढ़ती शहरीकरण भी खाद्य मांग को प्रभावित करते हैं।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है ,कि अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है ,परंतु चुनौतियां अब और भी गंभीर है एक और जहां योजनाओं की निरंतरता और बेहतर कार्य ऑनलाइन की आवश्यकता है, वहीं दूसरी और समावेशी विकास तकनीकी नवाचार और समुदाय भागीदारी भी खाद्य सुरक्षा की सफलता की कुंजी बन सकते हैंसतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नारायणपुर जिले में अपने खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत पारदर्शिता न्याय संगत और पोषण केंद्रित बनाना होगा।

सुझाव

- नारायणपुर जिले में टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी पीडीएफ ट्रैकिंग मोबाइल एप्स और डॉन की सहायता से पीडीएस निगरानी को पारदर्शिता बनाए जा सकता है।
- नारायणपुर जिले के अनुसूचित जनजातियों में पोषण सुरक्षा पर जोर सिर्फ अनाज नहीं बल्कि प्रोटीन विटामिन आयरन से युक्त खाद्य पदार्थों को भी वितरण प्रणाली में शामिल किया जाए जिससे कुपोषण को दूर किया जा सके।
- अनुसूचित जनजाति समुदाय आधारित भंडारण स्थानीय स्तर पर समुदाय संचालित भंडारण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि खाद्यान्न की बर्बादी काम हो सके।
- अनुसूचित जनजातियों में सामान्य आधारित लाभार्थी चयन असली जरूरतमंदों को चिन्हित करने के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वे को समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए।
- नारायणपुर जिला में कृषक और उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध फॉर्म मॉडल को बढ़ावा देकर किसानों की आय और उपभोक्ता की पोषण सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. प्रोफेसर अमर्त्य सेन (1995):द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ टारगेटिंग इन वेन डी वॉल नीड(ई डी एस)पेज नंबर 11_ 24
2. यादव साधना (2012)खाद्य सुरक्षा बिल से खत्म होंगे कुपोषण (कुरुक्षेत्र मार्च 2012)पेज नंबर 3_7
3. चंद्रभान 2012 अनाज का एक-एक दाना महत्वपूर्ण है (कुरुक्षेत्र मार्च 2012) पेज नंबर 8_12
4. ब्याज विजय शंकर 2013 भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक खाद्य सुरक्षा(कुरुक्षेत्र मार्च 2012)पेज 23 _28
5. हिमांशु एवं सेन अभिजीत 2013 नगदी बनाम सामग्री योजना (2013) पेज नंबर 16_ 18
6. राठौर पी खांडईत डी इगोले एस 2022 बर्डन एंड पैटर्न ऑफ़ इलनेस का ट्राईबल कम्युनिटीज इन सेंट्रल इंडिया ए रिपोर्ट्स फॉर्म ए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च 155 (2)224 _232

7. वर्ल्ड बैंक 2019 छत्तीसगढ़ इक्लासिव रूलर एंड एक्सेल रेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट
8. वर्ल्ड बैंक 2019 छत्तीसगढ़ इक्लसिव रूलर एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक
9. परमेश्वर लाल पोद्दार 2023_2024 खाद्य और पोषण सुरक्षा कुरुक्षेत्र पेज नंबर 14 _18
1. 10 आर्थिक सर्वेक्षण 2024 25 पेज नंबर 16 से 17 तक
10. पूनम (2025)बाबा मस्तान नाथ यूनिवर्सिटी राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग अस्थल बोहर रोहतक हरियाणा 124001